उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
द्वितीय तल, A & D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010 (उ0प्र0)
टेलीफोन:91–522–2723921, टोल फ्री: 18001805412
ई–मेल: upbocboardlko@gmail.com

पत्रांक : /भ0नि0बोर्ड–(2112)/2022 दिनांक :

:: <u>अधिसूचना</u> ::

अवगत कराना है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित **संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत एवं सरलीकृत करते हुए, "सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY) संचालित किये जाने** हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 23/2022/2165819/2022/श्रम–2 दिनांक 04.08.2022 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनापत्ति के अनुक्रम में योजना निम्नवत् है :–

<u>1–योजना का नाम– सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY)</u>

<u>2–योजना का उददेश्य–</u>

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति एवं उनके मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करके उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। **साथ ही योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा–9, कक्षा–10, कक्षा–11 या कक्षा–12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित होने पर उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु प्रेरित करने एवं उन्हें विद्यालय जाने हेतु सुविधा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से साईकिल क्रय किये जाने हेतु एकमुश्त धनराशि जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित की जायेगी, सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी। परन्तु शर्त यह होगी कि एक छात्र को एक ही बार साईकिल क्रय किये जाने हेतु सब्सिडी की धनराशि प्रदान की जायेगी।**

<u>3–पात्रता–</u>

I. बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो।
II. निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम (365) दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
III. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो।
IV. निर्माण श्रमिक के बालक/बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा।
V. शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
VI. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ देय होगा।

VII. *पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा–9, कक्षा–10, कक्षा–11 या कक्षा–12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साईकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।*

4–आवेदन की प्रक्रिया–

आवेदन पत्र समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in से निर्धारित कक्षा में प्रवेश की तिथि से छः माह के भीतर किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

I. छात्र/छात्रा के संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका।

II. आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद।

III. कक्षा 01 से 08 तक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालयों में शिक्षारत छात्र/छात्राओं के उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।

IV. कक्षा–9 से लेकर कक्षा–12 तक बाउचर/विपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डिग्री कक्षाओं में छात्र/छात्राओं के बाउचर/विपत्र उनके लिये अधिकृत सक्षम अधिकारी (Dean of Student Welfare/Provost) द्वारा भी प्रति हस्तांक्षरित किये जायेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षारत् छात्र/छात्रा का बाउचर उनके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

V. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन/स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

VI. योजना के अन्तर्गत साईकिल प्रदान किये जाने हेतु उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा की शुल्क रसीद, प्रवेशित व शिक्षारत होने का प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। उ0प्र0 से भिन्न राज्य में पुत्र/पुत्रियों के अध्ययनरत् होने की दशा में अंकतालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा से संबंधित प्रमाण–पत्र को संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

VII. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5–देय हितलाभ का विवरण–

1. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सन्तानों को कक्षा–01 से प्रारम्भ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति/साइकिल हेतु सब्सिडी दिया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है–

I.	कक्षा 01 से 05 तक	रु0 2,000/– एकमुश्त।

II.	कक्षा 06 से 10 तक	रु0 2,500/— एकमुश्त।
III.	कक्षा 11 से 12 तक	रु0 3,000/— एकमुश्त।
IV.	*कक्षा–9, कक्षा–10, कक्षा–11 एवं कक्षा–12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को केवल एक बार ही साईकिल क्रय किये जाने हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अनुमन्य होगी।*	एकमुश्त सब्सिडी की धनराशि पंजीकृत कामगार को डी0बी0टी0(**DBT**) के माध्यम से भुगतान की जायेगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।
V.	*स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष*	*रू0 12,000/—एकमुश्त।*
VI.	*आई0टी0आई/ पालीटेक्निक / **Vocational course***	*रू0 12,000/—एकमुश्त।*
VII.	***Professional degree Course** (ऐसे कोर्स जिनकी अवधि 02 वर्ष या 02 वर्ष से अधिक हो) जैसे–* • Management MBA/BBA • Engineering B.Tech and B.Arch, M.Tech, ME, BE • Computer Application-BCA/MCA • Fine arts – B.F.A • Education- B.Ed, B.P.Ed, C.P.Ed, M.Ed • Designing – Fashion/Interior/Web • Mass-communication/Journalism BJMC • Pharmacy – B.Pharma, M.Pharma • Hospitality – Hotel Management • Medical-B.D.S, B.A.M.S, B.H.M.S, B.U.M.S. • Nursing – B.Sc., M.Sc. • Finance – B.Com/CA/CFA/ CS • Architecture – B.Arch • Law – LL.B, LL.M • Agriculture	*भुगतान किये जाने वाले शुल्क/रू0 60,000/— एकमुश्त जो भी कम हो की धनराशि देय होगी।*
VIII.	*स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु*	*रू0 24,000/— एकमुश्त*
IX.	किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	*भुगतान किये जाने वाले शुल्क का शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी*

X.	किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	*रू0 1,00,000/– एकमुश्त।*
XI.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भुगतान किये जाने वाले शुल्क की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	

2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा 70 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने तथा अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में प्रोत्साहन के रूप में बालको को रू0 5,000/– एवं बालिकाओं को रू0 8,000/– अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त देय होगी।
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में प्रोत्साहन के रूप में बालकों को रू0 10,000/–एवं बालिकाओं को रू0 12,000/– अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त देय होगी। स्नातकोत्तर डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अगली कक्षा में प्रवेश लेने की शर्त लागू नहीं होगी।
4. यदि छात्र/छात्रा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा उसी कक्षा हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसका लाभ उसके द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है, तो छात्रवृत्ति का पात्र नहीं रहेगा।
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पात्रता तभी मान्य होगी, जब अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लिया हो।
6. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।

6–आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया–

निर्माण श्रमिक द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी–

I. निर्माण श्रमिक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जॉच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर हितलाभ के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में सूक्ष्म रूप में कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।

II. जाँच अधिकारी की अनुशंसा के 15 दिन के भीतर स्वीकर्ता अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त (सहायक श्रमायुक्त के न होने की स्थिति में संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

III. स्वीकृति के 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खातें/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता अंतरित की जायेगी।

यह समस्त कार्यवाहियॉ ऑनलाइन वेबसाइट/पोर्टल पर भी तद्दिनांक ही सम्पादित की जायेगी। उक्त समय–सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

IV. *साईकिल में घंटी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड सहित निर्धारित ब्रांडो के बेस मॉडल की साईकिल के क्रय हेतु एकमुश्त धनराशि जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित की जायेगी, सब्सिडी के रूप में श्रमिक द्वारा क्रय रसीद प्रस्तुत करने पर डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।*

7–कठिनाइयों का निवारण –

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस संबध में कोई दिशा–निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है, अतएव उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को उक्त योजना की अधिसूचना की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(विपिन कुमार जैन)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक : 3090–3101 **/भ0नि0बोर्ड–(2112)/2022** **दिनांक :** 08/08/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. विशेष सचिव, श्रम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या : 23/2022/2165819/2022/श्रम–2 दिनांक 04.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा समस्त जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. लेखा प्रभाग, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद को बोर्ड के वेब–पोर्टल पर अपलोड कराने तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को समाप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।

10. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद से समन्वय स्थापित करते हुए, बोर्ड के वेब–पोर्टल पर अपलोड कराने तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को समाप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।

11. गार्ड फाईल हेतु।

(विपिन कुमार जैन)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, A & D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010 (उ0प्र0)
टेलीफोन:91–522–2723921, टोल फ्री: 18001805412
ई–मेल: upbocboardlko@gmail.com

पत्रांक : /भ0नि0बोर्ड–(2112)/2023 दिनांक :

:: अधिसूचना ::

बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 3090–3101/भ0नि0बोर्ड–(2112)/2022 दिनांक 08.08.2022 द्वारा "संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY) अधिसूचित की गयी है। उक्त अधिसूचना के प्रस्तर–3 "पात्रता" में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 11/2023/I/418946/2023 दिनांक 01.11.2023 द्वारा संशोधन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनापत्ति के अनुक्रम में उक्त योजना में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं :–

प्रस्तर	पूर्व व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर–3–पात्रता	पात्रता : I. बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो। II. निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम (365) दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो। III. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो।	पात्रता : I. बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो। II. निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम **01 वर्ष (365 दिन)** बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो। **III. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को कक्षावार निम्नवत् होनी चाहिये :–** **(1) कक्षा–01 व 02 हेतु आयु सीमा 06 वर्ष से 08 वर्ष अधिकतम।** **(2) कक्षा–03 से 05 हेतु आयु सीमा 08 वर्ष से 11 वर्ष अधिकतम।** **(3) कक्षा–06 से 08 हेतु आयु सीमा 11 वर्ष से 14 वर्ष अधिकतम।** **(4) कक्षा–09 से 12 हेतु आयु सीमा 14 वर्ष से 18 वर्ष अधिकतम।** **(5) स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष अधिकतम।** **(6) किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम।** **(7) किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम।** **(8) भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय**

		प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम।
	IV. निर्माण श्रमिक के बालक/बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा।	IV. निर्माण श्रमिक के बालक/बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा।
	V. शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।	V. शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
	VI. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ देय होगा।	VI. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ देय होगा।
	VII. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा–9, कक्षा–10, कक्षा–11 या कक्षा–12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साईकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।	VII. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा–9, कक्षा–10, कक्षा–11 या कक्षा–12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साईकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(निशा अनंत)
सचिव, बोर्ड।
<u>उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ</u>

पत्रांक : 5087-88 /भ0नि0बोर्ड–(2112)/2023 दिनांक : 17/11/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. विशेष सचिव, श्रम अनुभाग–2 को उनके पत्र संख्या : 11/2023/I/418946/2023 दिनांक 01.11.2023 के क्रम में सूचनार्थ।

6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा समस्त जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।

7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड एवं संशोधन कराने हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल हेतु।

13/11/2023

(निशा अनंत)
सचिव, बोर्ड।